न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।

परिवाद संख्या–4256/2025

CNR No.UPAU120064502025

मातादीन बनाम रणजीत सिंह।
थाना–बिधूना, जिला औरैया।
अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट

दिनांक–30.01.2026

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादी मातादीन के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी/परिवादी वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी को कुछ रूपयों की जरूरत थी, तो प्रार्थी ने विपक्षी को अपनी भूमि नम्बर 146 रकवा 0.103 हे0 स्थित ग्राम पुर्वा किन्दरा मौजा ताजपुर, परगना बिधूना, जिला औरैया को दिनांक 07.07.2025 को जमीन विक्रय कर दी है। प्रार्थी को द्वितीय पक्ष ने बैनामा के समय कुछ रूपये नकद दे दिये थे और 3,50,000/– रूपये की चैक संख्या 707488 कैनरा बैंक, शाखा बिधूना की दिनांक 07.07.2025 को भरकर अपने हस्ताक्षर करके द्वितीय पक्ष ने प्रार्थी को प्रदान की। परिवादी ने उक्त चैक को अपने खाता संख्या 27240200001225 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा बिधूना मे दिनाँक 11.09.2025 को भुगतान हेतु, तो उसी दिनॉक को 11.09.2025 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा बिघूना द्वारा Dishonour करके वापस कर दी गयी। द्वितीय पक्ष के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी। विपक्षी ने यह जानते हुये कि उसके खाते में पर्याप्त घनराशि नहीं है। प्रार्थी को धोखा देने एवं उसके साथ जाल साजी करने के लिये चैक जारी की गई है। आप द्वितीय पक्ष के इस कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वितीय पक्ष की नियत मे खोट आ गई है और आप विपक्षी, प्रार्थी का रूपया हड़पना चाहते हैं। प्रार्थी ने विपक्षी से कई बार कहा व कहलवाया, लेकिन आज तक रूपये नहीं दिये। परिवादी ने उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस विपक्षी को दिनाँक 09.10.2025 को वजरिये पंजीकृत डाक से भेजा, जो नोटिस आज तक वापस नहीं आया, किन्तु इसके बाद भी विपक्षी उपरोक्त ने परिवादी को दी गई चैक में वर्णित घनराशि अदा नहीं की गयी। विपक्षी ने नोटिस का जबाव प्रार्थी के अधिवक्ता को रजिस्टर्ड नोटिस से भेजा, जिसमें विपक्षी ने उक्त भूमि वन विभाग/नाला व बम्बा में बतायी गयी है, जबकि खतौनी में प्रार्थी के नाम भूमि है। रूपये न देने की नियत से गलत तरीके से नोटिस का जबाव विपक्षी ने भेजा है। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 138 एन0आई0 एक्ट की परिधि में आता है। अतः विपक्षी को तलब करने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में स्वयं का शपथ पत्र, मूल चैक एक अदद, चैक वापसी का ज्ञापन/रिटर्न मैमो की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद, एक किता रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 09.10.2025 एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को जरिये धारा 223 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत शपथ पत्र के माध्यम से परीक्षित कराया गया, जिसमें उसने परिवाद कथानक का समर्थन किया है। विपक्षी द्वारा दी गयी उक्त चैक को परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु लगाने के बाद बैंक द्वारा दिनांक 11.09.2025 को वापस कर दी गयी एवं चैक अनादरित हो गयी। परिवादी द्वारा विपक्षी को दिनांक 09.10.2025 को विधिक नोटिस प्रेषित किया गया, जो विपक्षी पर दिनांक 11.10.2025 को तामील हो गया। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद समय सीमा के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2025 को संस्थित किया गया। इस प्रकार पत्रावली

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2026.01.30 16:26:15 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी रणजीत सिंह के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी रणजीत सिंह को अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रणजीत सिंह को अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। परिवादी पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी हेतु दिनांक 20.02.2026 को पेश हो।

(डॉ0 प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP 3441